न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान—2021 ग्राम पंचायत भवन बलाऊ

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1 नवाव खां पुत्र अमीन खां 2 सुराब खां पुत्र अमीन खां 3 अचार खां पुत्र अमीन खां जातियान मुसलमान निवासीयान बलाऊ तहसील एवं जिला बाड़मेर		1 कमाल खान पुत्र सफी मोहम्मद 2 हुसैन खान पुत्र जुम्मा खान जातियान मुसलमान 3 हरलाल पुत्र राणाराम 4 सोनाराम पुत्र दीवानराम जातियान सांसी 5 मेहताबसिंह पुत्र जवारसिंह जाति राजपूत 6 तगाराम पुत्र करनाराम 7 भारूराम पुत्र पूरणाराम 8 नारणाराम पुत्र पूरणाराम 9 दमाराम पुत्र हेमाराम जातियान जाट निवासीयान बलाऊ तहसील एवं जिला बाड़मेर 10 तहसीलदार बाड़मेर 11 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा राणीगांव तहसील एवं जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्

राजस्व आवेदन संख्या—350/2019 दिनांक—14.10.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बलाऊ पटवार क्षैत्र राणीगांव तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 52 रकबा 0.16 बीघा किस्म गै.मु. खसरा नंबर 257/56 रकबा 60.14 बीघा किस्म बारानी सोयम, खसरा नंबर 260/65 रकबा 95.02 बीघा किस्म बारानी सोयम कुल रकबा 156.12 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुऐ एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/— अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर

क्रमांक/रीडर/2021/ 6031–6034 दिनांक– 14/10/2021

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः—

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी राणीगांव तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी नवाब खां पुत्र अमीन खां वगैराह जातियान मुसलमाने निवासी बलाऊ तहसील एवं जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण कमला खान पुत्र सफी मौहम्मद जातियान मुसलमान निवासीयान बलाऊ तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर